



UPMB180016612023

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड़, महोबा।

पीठासीन अधिकारी- (SHISHIR YADAV), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP04601

एफ० आर० नं०-14/2023

गुलाब सिंह

बनाम

प्रेमनारायण खंगार।

मु०अ०सं०-317/2022

धारा-279, 337, 338, 427 भा०दं०सं०

व 184 एम०वी० एक्ट।

थाना-कुलपहाड़, जिला महोबा।

दिनांक-23.07.2026

पत्रावली पेश हुई।

थाना कुलपहाड़ द्वारा मु०अ०सं० 317/2022, अंतिम रिपोर्ट संख्या-01/2023 अन्तर्गत धारा-279, 337, 338, 427 भा०दं०सं० व 184 एम०वी० एक्ट की विवेचना के पश्चात अंतिम आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। वादी मुकदमा को जरिये नोटिस सूचना प्रेषित की गयी। नोटिस तामील होकर वापस न्यायालय को प्राप्त हुआ। परंतु पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा नोटिस तामील होने के उपरान्त न्यायालय उपस्थित नहीं आया है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वह उपरोक्त मामलों में कोई रुचि नहीं ले रहा है तथा वह पुलिस द्वारा उपरोक्त मामलों में लगाई गई एफआर सं०-01/2023 से संतुष्ट है। ऐसी स्थिति में मामलों में कार्यवाही हेतु कुछ शेष नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर अन्तिम आख्या संख्या-01/2023 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अंतिम आख्या संख्या-01/2023, एफआर वाद सं० (14/2023) स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शिशिर यादव)

न्यायिक मजि०, कुलपहाड़,
महोबा

जे०ओ० कोड यू०पी० 4601